न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

अपील सं0 03/2018

1. विक्रम पुत्र सरजीतसिंह जाति जाट साकिन कलाना तहसील भादरा।
2. उम्मेदसिंह उम्र 16 वर्ष 9 माह लगभग पिता सरजीत सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक पिता सरजीत सिंह पुत्र भागमल उर्फ भगवानाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. संजीव उर्फ संजय उम्र 13 वर्ष पिता सरजीत सिंह नाबालिग जरिये संरक्षक पिता सरजीत सिंह पुत्र भागमल उर्फ भगवानाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.01.2018
अधीनस्थ न्यायालय जिसकी रूह से वसीयत
प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

उपस्थितः– श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय दिनांकः– 14.01.2020

अपीलांट ने तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि

1. अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून वाकयात व इंसाफ होने से काबिल निरस्ती है निर्णय की प्रमाणित व अपीलांटस/प्रार्थीगण के जन्म संबंधित शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका/प्रमाण पत्र प्रति सलंग्न अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

2. अपीलांट/प्रार्थीगण के दादा श्री भागमल उर्फ भगवानाराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन कलाना तहसील भादरा ने दिनांक 14.08.2007 को बरोबरू गवाहान भगवानाराम पुत्र श्रीरामकिशन जाति जाट साकिन कलाना व सरजीतसिह पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट साकिन कलाना के समक्ष अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष मे ग्राम कलाना की खसरा नं. 389 की 2.5550 है. बारानी व ख.न. 395 की 2.4670 है0 बारानी कुल 5.0220 है0 बारानी कृषि भूमि की वसीयत तहरीर करवाई जाकर 16.08.2007 को उप पंजीयक भादरा के यंहा पंजीबद्ध करवाई गई थी। जिसके आधार पर अपीलांट ने उनके दादा के दिनांक 11.04.2008 को फौत होने के उपरांत विचारण न्यायालय के समक्ष पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर अपीलांट ने नाम इंतकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के खारिज करने में सख्त गलती की है जिसे अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.01.2017 को पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर इतकाल दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./17/99 दिनांक 17.01.2017 से सार्वजनिक सूचना उजर ऐतराज बाबत जारी किया गया एवं उक्त सार्वजनिक सूचना दैनिक अखबार दिनांक 17.01.2017 में भी प्रकाशित करवाई गई जिस पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश पारितर करना चाहिए था, परन्तु ऐसा ना कर विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन आदेश प्रसारित करने में घोर त्रुटी कारित की है उक्ताधार पर अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है।

4. विचारण न्यायालय की पत्रावली पर रिपोर्ट हल्का पटवारी प्रस्तुत हुई थी जिसमें अपीलांट के दादा के नाम वसीयत में अंकित भूमि उसकी स्वःअर्जित खरीदशुदा खातेदारी भूमि होना अकित किया गया एवं किसी प्रकार का कोई स्थगन भी नही होने संबंधित रिपोर्ट की गई है इसके अतिरिक्त स्टाम्प पर वसीयत में जो गवाहन थे उनके द्वारा शपथ पत्र भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए थे परन्तु उक्त दस्तावेजात पर गौर ना कर इंतकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने में विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विचारण न्यायालय का दिनांक 18.09.2017 को जारी नोटिस अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता को दिनांक 26.10.2017 को प्राप्त होने पर अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता ने अपने अधिवक्ता से 27.10.2017 को सम्पर्क किया तो उनके द्वारा यह कथन किया गया कि यह नोटिस अपीलांट की उम्र से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत है इसलिए आप उम्र संबंधित दस्तावेज लाकर देवें जिस पर अपीलांट संख्या 2 व 3 के पिता सरजीतसिंह द्वारा दिनांक 28.10.2017 को अपने भादरा स्थित अधिवक्ता श्री जयकिशन को अपीलांट के जन्म संबंधित शिक्षा बोर्ड के अंकतालिका/प्रमाण पत्र दे दिये थे तत्पश्चात उनके द्वारा यही कहा गया कि प्रकरण में आगे प्रगति की जानकारी में स्वयं आपको दे दुंगा परन्तु जब उनके द्वारा कोई जानकारी नही दी गई तो अपीलांट दिनांक 17.01.2018 को अपने अधिवक्ता से पता करने गये तो उनके समक्ष यह तथ्य आया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2018 से आवेदन पत्र प्रार्थीगण खारीज कर दिया गया है जिस पर अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की राय दी इस प्रकार अपीलांट के अधिवक्ता की किसी गलती के कारण पक्षकारान को दण्डित नही कियसा जा सकता है क्योंकि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जो भी दस्तावेजात अपीलांटस से मागे थे वे उन्हे दे दिये थे ऐसी परिस्थिति में उनके अधिवक्ता का यह नैतिक कर्तव्य था कि आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते इस कारण अपीलाधीन निण्रय कतई विधि विरूद्ध पारित कियास गया है जो काबिल निरस्ती है।

6. अपीलांट के दादा ने जो वसीयत की थी वह पंजीबद्ध थी एवं उसके संबंध में कोई आपत्ति भरी नही आई थी एवं एक खातेदारी काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत अपने पोतों के हक में निष्पादित कानूनन कर सकता है। इसी कारण प्रश्नगत वसीयत पंजीबद्ध की गई एवं वसीयत कर्ता द्वारा जिसके हक में वसीयत निष्पादित की है वे सिर्फ बालिक ही हो ऐसा कोई विधि में प्रावधान नही है। इसलिए पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में वसीयत में वर्णित कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करने का आदेश विचारण न्यायालय को प्रदान करना चाहिए था। उक्त विधिक स्थिति के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है इसलिए अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दिनांक 14.08.2007 को निष्पादित व दिनांक 16.08.2007 को पंजीबद्व वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश विचारणीय न्यायालय को प्रदान किये जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.01.2018 के विरूद्व वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था व वसीयत की सार्वजनिक सुचना दिनांक 17.01.2017 को समाचार पत्र से जारी करवा दी थी परन्तु तहसीलदार ने पक्षकार द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त सम्बन्धि दस्तावेज पेश करने थे इनके अभाव में खारिज कर दिया गया। वकील अपीलांट ने बताया की हमने दस्तावेज पेश कर दिये तथा वैसे भी वसीयत के लिए आयु सम्बन्धि कोई प्रावधान नहीं है। वसीयत स्वअर्जित भूमि की है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। पत्रावली में अपील स्वीकार करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा बताया गया की तहसीलदार भादरा द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण करने के संबंध में आयु सम्बन्धित दस्तावेज मांगे थे जिन्हे पेश करने में विलम्ब के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी स्पष्ट है कि दिनांक 18.09.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उम्र सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2018 को इन दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो की विधि सम्मत प्रतित नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पूनः गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/1/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर, हनुमानगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official